सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यालय–ज्ञाप

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष
सं0सं0वि0वि0,वाराणसी

महोदय,

सूच्य है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10.03.2025 जो ई0मेल द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के पंजीकृत छात्रों को एण्टी रैगिंग आनलाईन शपथ–पत्र भरने तथा अन्य गतिविधियों के सन्दर्भ में एण्टी रैगिंग कमेटी की बैठक दिनांक 26.03.2025 को सम्पन्न हुई। जिसमें अधोलिखित महानुभाव द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

1.	प्रो0 हरिशंकर पाण्डेय	– छात्रकल्याणसंकायाध्यक्ष	– अध्यक्ष
2.	प्रो0 दिनेश कुमार गर्ग	– विनयाधिकारी	– सदस्य
3.	प्रो0 राघवेन्द्र जी दूबे	– समन्वयक, एन.एस.एस.	– सदस्य
4.	डॉ0 विजय कुमार शर्मा	– मुख्य प्रतिपालक	– सदस्य
5.	डॉ0 विशाखा शुक्ला	– सहायक आचार्य	– सदस्य
6.	डॉ0 विजेन्द्र कुमार आर्य	– एन.सी.सी. अधिकारी	– सदस्य
7.	श्री सुनील कुमार चौधरी	– अधीक्षक	– सदस्य

कार्यवृत्त

1. समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रवेश सत्र 2025–26 में प्रवेश पंजीकरण के समय ही दिये गये आनलाईन एण्टी रैगिंग लिंक पर **For student undertaking- https://antiragging.in/affidavit_registration_disclaimer.html** पर पूरित करने के पश्चात् प्रवेशावेदनपत्र में संलग्न करने पर ही प्रवेश पूर्ण माना जायेगा। इस आशय की सूचना संगणक केन्द्र को दिया जाय कि सत्र 2025–26 में प्रवेश पंजीकरण में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। वर्तमान सत्र से इस आशय की सूचना समस्त विभागों एवं छात्रावासों को दिया जाए। छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एण्टी रैगिंग के साईट पर जाकर अपना एण्टी रैगिंग एफिडेविट नामांकन फार्म भरते समय ही पूर्ण करेंगे।
2. समिति ने यह भी सुझाव दिया कि यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय परिसर में रैगिंग करते हुए पाया जाता है, तो उस पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। रैगिंग से ग्रसित छात्र अपने प्रार्थना–पत्र के माध्यम से एण्टी रैगिंग समिति के अध्यक्ष से कर सकता है तथा साथ में छात्र अपना शिकायत इस लिंक के माध्यम से आनलाईन पोर्टल पर कर सकता है **For college/University compliance-https://antiragging.in/compliance _disclaimer.html**
3. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुपालन में छात्रावासों एवं संकायों के पास एण्टी रैगिंग से सम्बन्धित होर्डिंग बोर्ड लगवाये जाये, इसके लिये मा0 कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त कर सम्पति प्रभारी को एण्टी रैगिंग होर्डिंग बोर्ड लगवाने हेतु निर्देशित किया जाय।
4. समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के समस्त विभागों के माध्यम से छात्रों में यह प्रसार–प्रसार किया जाये कि रैगिंग एक संज्ञेय अपराध है साथ ही यह भी निर्णय लिया कि संगणक केन्द्र को उपर्युक्त निर्णय प्रेषित किया जाए कि सम्बद्ध महाविद्यालय के कालेज लागिन पर सूचना प्रदर्शित करे।

04/4/2025

(राकेश कुमार)
आई.ए.एस.
कुलसचिव
सं0सं0वि0वि0,वाराणसी

छा0क0सं0 – 1210 /2025 दिनांक – 04.04.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित –

1– कुलपति के सचिव, कुलपति महोदय को अवलोकनार्थ।
2– समस्त सम्मानित सदस्यगण।
3– समस्त संकायाध्यक्ष।
4– आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
5– विनयाधिकरी/मुख्य प्रतिपालक।
6– संगणक केन्द्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को वि0वि0 के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने तथा साथ में वि0वि0 से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के लागिन पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7– समस्त प्राचार्य, सम्वद्ध महाविद्यालय को उपर्युक्त के अनुपालन हेतु।
8– जनसम्पर्क अधिकारी ।
9– सम्बद्ध पत्रावली।
10– समस्त सूचना पट्ट।

(राकेश कुमार)
आई.ए.एस.
कुलसचिव
सं0सं0वि0वि0,वाराणसी